

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 1010/2024

अनवान : -

1. रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान

काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रामकुमार बैनीवाल अधिवक्ता वादी

श्री परोकार राज

निर्णय

दिनांक: 25/06/2025

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा चक 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 151/147 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उक्त वाद भूमि में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम रामलाल पुत्र सुरजाराम है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेजात रामलाल पुत्र सुरजाराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में नवीनतम जमाबंदी पेश की व साक्ष्य वादी में वादी द्वारा शपथ पत्र पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। वकील वादी ने निवेदन किया की उक्त वाद भूमि में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा दर्ज है जबकि वादी का सही व वास्तविक नाम रामलाल पुत्र सुरजाराम है राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गलत दर्ज होने से वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है इसलिए वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम मुताबिक दस्तावेजात रामलाल पुत्र सुरजाराम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 151/147 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त वाद भूमि में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा दर्ज है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में वादी का नाम रामलाल पुत्र सुरजाराम दर्ज है। अत वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।



अ
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 151/147 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा के स्थान पर रामलाल पुत्र सुरजाराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि नाम दुरुस्ती के संबंध में वादी ने कोई तथ्य छुपाया है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/06/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों।

21
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 1010/2024

अनवान : -

1. रामलाल पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी जसाना तहसील नोहर।

-वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

- प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्त0
अधि0 1955 प्र0स0 1010 वर्ष 2024 निर्णय दिनांक 25/06/2025

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी एवं परोकार राज की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा चक 21 जेएसएन तहसील नोहर के खाता स0 151/147 की कुल 2.2770 हैक्ट भूमि वादी के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है में वादी का नाम रामू पुत्र सुरजा के स्थान पर रामलाल पुत्र सुरजाराम के अंकन की घोषणा की जाती है। यदि नाम दुरुस्ती के संबंध में वादी ने कोई तथ्य छुपाया है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। यदि किसी न्यायालय का स्थगन आदेश न हो उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। खर्चा उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25/06/2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर